Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 308/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, भिक्यिासैंण,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यिासैंण, जिला– अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन/एकाउंट संख्या 40116950865 के सापेक्ष जनवरी 2026 के बिल में रू0 83514 के रूप में अप्रत्याशित एरियर लगाया गया है। उन्होने इसे ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1212 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, भिक्यिासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 तथा 28.05.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से पंत्राक संख्या 653 दिनांक 20.04.2026 के माध्यम से आख्या प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था जिसे मंच ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवायी तिथि 17.06.2026 नियत की थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह प्रकरण जनवरी 2026 के बिल में रू0 83514 का अप्रत्याशित एरियर लगाने से संबंधित है। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर., भिक्यिासैंण से फोन पर बात की गयी। उन्होने बताया कि यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है।

विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह प्रकरण में विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 तथा 31.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई आख्या प्राप्त हुयी। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए0ई0आर0, भिक्यिासैंण से फोन पर बात की गयी। यह प्रकरण पुराने वाद संख्या 257 में पारित आदेश को सही तरीके से ना समझने के कारण उत्पन्न हुयी है। श्री तुषार चौहान ए0ई0आर0 भिक्यिासैंण ने उपरोक्त वाद में पारित आदेश तथा शिकायत पत्र की प्रतिलिपी की मांग की थी जिसे उनके व्हाट्सएप/ई.मेल पर भेज दिया गया था। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मंच की अगली सुनवायी 24.08.2026 से पहले आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6/9/26

16/9/2026

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 24.08.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर., भिक्यासैंण उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि एमआरआई0 के अनुसार बिलों का पुनः निरीक्षण करने के लिए उन्हें 15 दिन के समय की जरूरत है जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवायी तिथि 16.09.2026 को नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 16.09.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एईआर भिक्यासैंण उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसमें व्यवसायिक श्रेणी का संयोजन होने की वजह से टैरिफ रेट (तत्कालीन) का लाभ मिल सकता है। एमआरआई0 रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.12.2024 में रीडिंग 77285 केवीएएच0, दिनांक 01.01.2025 में 82010.830 केवीएएच0 तथा दिनांक 25.01.2025 में 87731 केवीएएच दिखाया गया है। उन्होने यह भी बताया कि वादी का मीटर दिनांक 07.03.2024 को बदला गया था जो कि शून्य रीडिंग पर था। दिनांक 01.04.2024 से विद्युत दर 7.15 यूनिट/केवीएएच0 निर्धारित है जबकि इससे पहले यह दर 6.70 यूनिट/केवीएएच0 थी। अतः मीटर बदलने की तिथि 07.03.2024 से दिनांक 31.03.2024 तक 65 पैसे का प्रति यूनिट का लाभ वादी को मिल सकता है। विभाग के अनुसार नवबंर 2024 से दिसबंर 2024 तक डंप रीडिंग हुयी है जिसको अंतिम 18 महिनों में 07 जुलाई 2023 से दिसबंर 2024 तक वितरित कर तद्कालीन टैरिफ दर का लाभ दिया गया है।

इन परिस्थितियों विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह मीटर बदलने की तिथि से तद्कालीन टैरिफ दर का लाभ देते हुए, संशोधित बिल वादी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। सुनवायी के मध्य में श्री बिपिन चंद्र तिवारी द्वारा फोन किया गया और अनुरोध किया गया कि संशोधित बिल से संबंधित एल.पी.एस.सी. हटा दी जाए जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है और तद्नुसार विभाग को निर्देशित किया जाता है।

आदेश

यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसमें व्यवसायिक श्रेणी का संयोजन होने की वजह से टैरिफ रेट (तत्कालीन) का लाभ दिया जा सकता है। उन्होने यह भी बताया कि वादी का मीटर दिनांक 07.03.2024 को बदला गया था जो कि शून्य रीडिंग पर था। दिनांक 01.04.2024 से विद्युत दर 7.15 यूनिट/केवीएएच0 निर्धारित है जबकि इससे पहले यह दर 6.70 यूनिट/केवीएएच0 थी। अतः मीटर बदलने की तिथि 07.03.2024 से दिनांक 31.03.2024 तक 65 पैसे का प्रति यूनिट का लाभ वादी को मिल सकता है। विभाग के अनुसार नवबंर 2024 से दिसबंर 2024 तक डंप रीडिंग हुयी है जिसको अंतिम 18 महिनों में 07 जुलाई 2023 से दिसबंर 2024 तक वितरित कर तद्कालीन टैरिफ दर का लाभ दिया गया है।

इन परिस्थितियों विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह मीटर बदलने की तिथि से तद्कालीन टैरिफ दर का लाभ देते हुए, बिना एल.पी.एस.सी. के, संशोधित बिल वादी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं, तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 16.09.2026

16/9/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

16/9/2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

16/9/26

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 313 / 2026

श्रीमती कमला देवी, पत्नी स्व0 बंसत बल्लभ जोशी,
ग्राम व पो0ऑ0– पल्यू,
जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर21812010460 के सापेक्ष उन्होने वर्ष 2023 में रू0 3100 का पूर्ण बिल जमा किया था, उसके उपरान्त उन्हें कोई भी बिल प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात् मार्च 2026 में रू0 15273 का बिल प्राप्त हुआ है जो कि गलत है। उन्होने बिल को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1235 दिनांक 11.05.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 28.05.2026 में वादी की तरफ से श्री सुनील जोशी, वादी के पुत्र उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी। ईद का अवकाश घोषित होने की वजह से विभाग से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी का कहना था कि उनके संयोजन एकांउट संख्या– 40110848341 के सापेक्ष वर्ष 2023 में रू0 3100 जमा किये थे। इसके पश्चात् दिसबंर 2025 में उनको आरडीएफ0 का बिल प्राप्त हुआ। उन्होने इसको ठीक करने के लिए विभाग से बार– बार अनुरोध किया था, लेकिन विभाग द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। उन्होने बताया कि मार्च 2026 में लगभग रू0 16000.00 का एक बिल और प्राप्त हुआ था। उन्होने बिल ठीक करवाने का अनुरोध किया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.06.2026 से पहले प्रकरण में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से सुनील जोशी, वादी के पुत्र तथा विभाग की तरफ से श्री संतोष अग्रवाल एस.डी.ओ प्रथम उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी का बिल अद्यतन् रू0 15273 का निर्गत हुआ था जिसमें रू0 2843.94 का सरचार्ज लगा हुआ था। वादी ने सरचार्ज हटाने के लिए निवेदन किया था। विभाग ने बताया कि वह सरचार्ज हटाने के लिए प्रकरण का परीक्षण करेगें और 15 दिन के अंदर अपनी आख्या प्रेषित करें। अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 को नियत की गयी थी।

16/7/26 16/7/2026

4 .मंच की सुनवाई तिथि 07.07.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संतोष अग्रवाल एस.डी.ओ प्रथम ने बताया कि वादी का जून 2026 तक का बिल रू0 15664 निर्गत किया गया था जिसमें सरचार्ज की धनराशि रू0 165.03 है जिसे हटाना संभव नहीं है। विभाग ने बताया कि वादी द्वारा अंतिम भुगतान दिनांक 21.10.2023 को किया गया था। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि दिनांक 31.07.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से श्री सुनील कुमार जोशी, वादी के पुत्र उपस्थित हुएं। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने बताया कि विगत में उनके बिल लगभग रू0 175–200 प्रतिमाह आते थें जो कि एकाएक फरवरी 2026 में यह बढ़कर रू0 49618 का बिल प्राप्त हुआ। वादी ने बताया कि उन्होने अंतिम बार बिल अक्टूबर 2023 में रू0 3101 का बिल जमा कराया था और इसके बाद उन्हें फरवरी 2026 में रू0 49618 का बिल प्राप्त हुआ जो कि गलत है। वादी ने बताया कि दिनांक 20.08.2023 तक उन्होने रू0 3101 का बिल जमा करा दिया था। उन्होने कहा है कि अगस्त 2023 से जून 2026 34 महिनों का बिल पिछले औसत रू0 200 प्रतिमाह के हिसाब से रू0 7000 के आस–पास बनता हैं। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एमआरआई0 कराकर उसके आधार पर वादी के कथानुसार बिल का पुनः निरीक्षण कर विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 21.08.2026 को नियत की गयी थी।

6..मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 21.08.2026 तथा 16.09.2026 में वादी की तरफ से श्री सुनील कुमार जोशी,वादी के पुत्र तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने पत्र संख्या 474 दिनांक 15.06.2026 के माध्यम से सूचित किया है कि मंच के निर्देशों के अनुपालन में मीटर की एमआरआई0 करने की कोशिश की गयी थी परंतु एमआरआई0 नहीं हो पा रही है। विभाग ने यह भी बताया कि वादी का मीटर दिनांक 19.05.2025 को बदल दिया गया था। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि वादी के बिल विगत में कई महीने आर0डी0एफ0 आधार पर निर्गत कियें गये थे।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि मीटर बदलने के एक साल बाद के, विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर, आरडीएफ अवधि के संशोधन को छोड़कर, खराब बिल का पुनः निर्धारण करें और संशोधित बिल वादी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं, तद्पश्चात् 10 दिन के उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि मीटर की एमआरआई0 करने की कोशिश की गयी थी परंतु एमआरआई0 संभव नहीं हो पा रही है। विभाग ने यह भी बताया कि वादी का मीटर दिनांक 19.05.2025 को बदल दिया गया था। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि वादी के बिल विगत में कई महीने आर0डी0एफ0 आधार पर निर्गत कियें गये थे।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि मीटर बदलने के एक साल बाद के, विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर, आरडीएफ अवधि के संशोधन को छोड़कर, खराब बिल का पुनः निर्धारण करें और संशोधित बिल वादी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं, तद्पश्चात् 10 दिन के उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 16.09.2026

16/9/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

16/9/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

16/9/2026
8/10/26
कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 317 / 2026

श्री बहादुर राम,पुत्र स्व0 पुनराम,
ग्राम – देवलधार, पो0ऑ0– जनोटी, पालड़ी
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। ।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बीजी 13141050209, के सापेक्ष उनका विद्युत भार 2 किलोवाट है जबकि उनके हर महिने का विद्युत का खर्च 2–5 यूनिट के बीच में है। उन्होंने विद्युत बिलों के दृष्टिगत, विद्युत भार 01 किलोवाट करने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1268 दिनांक 05.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से पंत्राक 1663 दिनांक 16.06.2026 के द्वारा सूचित किया गया था कि मीटर की एमआरआई0 प्रक्रियाधीन है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह बिलिंग हिस्ट्री के साथ मीटर की एमआरआई0 सहित विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी की तिथि 07.07.2026 को नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 07.07.2026 में वादी और प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग द्वारा दी जाने वाली आख्या भी अपेक्षित है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर उपरोक्त पर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी की तिथि 31.07.2026 को नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि 31.07.2026 तथा 24.08.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर प्रकरण में विस्तृत आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह बड़े खेद का विषय है कि बार–बार अनुस्मारक देने के पश्चात् भी प्रकरण में आख्याएं प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 16.09.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.09.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ. (बा0) उपस्थित हुए। वादी का कहना है कि उनका स्वीकृत भार 02 किलोवाट है जिसे विभाग ने 02 किलोवाट भार ही अंकित किया है।

16/9/26

16/9/2026

वादी ने 02 किलोवाट से 01 किलोवाट भार घटाने के लिए अनुरोध किया है। वादी का विद्युत भार जानने के लिए मीटर की एमआरआई0 की गयी जिसमें वादी का विद्युत भार (एम.डी.) 01 किलोवाट से कम पाया गया है।
उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह एमआरआई0 के अनुसार वादी का विद्युत भार 02 किलोवाट से 01 किलोवाट करने की कार्यवाही 15 दिन के अंदर पूर्ण करे।

आदेश

यह प्रकरण वादी के विद्युत भार को 02 किलोवाट से 01 किलोवाट घटाने से संबंधित हैं। वादी का वास्तविक विद्युत भार जानने के लिए मीटर की एमआरआई0 की गयी जिसमें वादी का विद्युत भार (एम.डी.) 01 किलोवाट से कम पाया गया है।
उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह एमआरआई0 के अनुसार वादी का विद्युत भार 02 किलोवाट से 01 किलोवाट करने की कार्यवाही 15 दिन के अंदर पूर्ण करे।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 16.09.2026

16/9/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

16/9/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 318/2026

श्री रोहित सिंह शाही,
ग्राम व पो0ऑ0– असों, तहसील– कपकोट,
जिला– बागेश्वर। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। । प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या 40118974117 के सापेक्ष, 31.03.2025 को 51292 यूनिट के आधार पर रू0 70047 का भुगतान किया गया था। उन्होने बताया कि 23.05.2025 को उनके परिसर में नया 03 फेस का मीटर लगाया गया था जिसमें पुराने मीटर की यूनिट 31.03.2025 को 51292 अंकित थी जो कि 17.03.2026 को बढ़कर 64576 यूनिट हो गयी। उन्होने कहा है कि 31.03.2025 को संपूर्ण बिल का भुगतान करने तथा 23.05.2025 को नया कनेक्शन लगने तक 53 दिन का बिल 112261 रू0 कैसे आ सकता है। उन्होने बिल को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1269 दिनांक 05.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। विभाग को पुनः कहा गया था कि वह 15 दिन के अंदर बिलिंग हिस्ट्री के साथ विस्तृत आख्या भेजना सुनिश्चित करे। अगली सुनवायी की तिथि 07.07.2026 को नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 07.07.2026 में वादी की तरफ से श्री राजेन्द्र सिंह, वादी के भाई उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, उपखंड अधिकारी बागेश्वर से फोन पर बात की गयी। वादी ने मंच की सुनवायी में पत्र दिनांक 07.07.2026 के द्वारा बताया है कि उनके संयोजन एकांउट संख्या 40118974117, संयोजन संख्या बीजी6जे 601087680 की रीडिंग दिनांक 31.03.2025 में अवर अभियंता द्वारा ली गयी थी जिसके आधार पर विभाग द्वारा रू0 70047 का बिल निर्गत किया गया था जिसे उन्होने जमा कर दिया था। उन्होने यह भी कहा कि जब उन्होने दिनांक 31.03.2025 तक रीडिंग आधारित बिल जमा कर दिया है तो इसके पश्चात् दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 23.05.2025 (मीटर विच्छेदन तिथि) तक 53 दिनों का बिल रू0 112261 कैसे आ सकता है। वादी ने यह भी बताया कि उनके विगत में बिल लगभग रू0 7000–8000 प्रतिमाह आते थें। इसके अनुसार उनका बिल 53 दिनों का अधिकतम रू0 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एमआरआई0 कराकर बिलिंग हिस्ट्री के साथ विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 को नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि 31.07.2026 तथा 24.08.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही मंच की सुनवायी दिनांक 07.07.2026 के अनुक्रम में विभाग से एमआरआई0 रिपोर्ट प्राप्त हुयी है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एमआरआई0 के साथ बिलिंग हिस्ट्री संलग्न कर विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 16.09.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.09.2026 में वादी की तरफ से श्री राजेन्द्र सिंह शाही से फोन पर बात की गयी। विभाग की तरफ से श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी एस.डी.ओ. (बा0) उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 में जनवरी 2025 में मीटर की रीडिंग जंप पायी गयी है जो कि 12882.1 रीडिंग है वादी ने बताया कि उन्होने पी.डी के लिए भी बहुत पहले एप्लाई किया हुआ है जो कि अभी लंबित है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि जनवरी 2025 में जंप रीडिंग को हटाते हुए, पिछले 06 महीने के विद्युत उपभोग का औसत लेते हुए, बिल संशोधन करें। विभाग को यह भी कहा जाता है कि अगर वादी ने पी.डी. के लिए एप्लाई किया हुआ है और इसका सबूत उपलब्ध होता है, तब उस तिथि के बाद वादी के बिल में मिनिमम चार्ज लगाना उचित नहीं होगा। विभाग को कहा जाता है कि वह उपरोक्तानुसार, बिल संशोधन कर, 15 दिन के अंदर वादी को संशोधन बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश

यह प्रकरण दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 23.05.2025 (मीटर विच्छेदन तिथि) तक 53 दिनों का बिल रू0 112261 आने से संबंधित है। विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 मे जनवरी 2025 में मीटर की रीडिंग जंप पायी गयी है जो कि 12882.1 रीडिंग है। वादी ने बताया कि उन्होने पी.डी के लिए भी बहुत पहले एप्लाई किया हुआ है जो कि अभी लंबित है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि जनवरी 2025 में जंप रीडिंग को हटाते हुए, पिछले 06 महीने के विद्युत उपभोग का औसत लेते हुए, बिल संशोधन करें। विभाग को यह भी कहा जाता है कि अगर वादी ने पी.डी. के लिए एप्लाई किया हुआ है और इसका सबूत उपलब्ध होता है, तब उस तिथि के बाद वादी के बिल में मिनिमम चार्ज लगाना उचित नहीं होगा। विभाग को कहा जाता है कि वह उपरोक्तानुसार, बिल संशोधन कर, 15 दिन के अंदर वादी को संशोधन बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 16.09.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 319 / 2026

श्री गोपाल राम, पुत्र श्री मोहन राम,
ग्राम – नौगांव, पो0ऑ0– देवनाई,
तह0– गरूड़,
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। ।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बीजी 12391073814 के सापेक्ष, विगत कई महिनों से वादी को अत्यधिक विद्युत भार को सहन करना पड़ रहा है। उन्होने बिलों को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1270 दिनांक 05.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से पंत्राक 1664 दिनांक 16.06.2026 के माध्यम से सूचित किया गया था कि वादी ने अंतिम बार दिनांक 21.12. 2018 में रू 2000.00 का बिल जमा कराया था और अब यह बिल दिनांक 24.02.2026 तक रू0 31863.00 का निर्गत हुआ है। उन्होने बताया कि वादी का संयोजन बकाये पर दिनांक 29.03.2026 को विच्छेदित कर दिया गया था। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी की तिथि 07.07.2026 को नियत की गयी थी।

3..मंच की सुनवाई तिथि 07.07.2026 ,31.07.2026, तथा 24.08.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। विगत में विभाग ने बताया था कि वादी ने अंतिम बार दिनांक 21.12.2018 में रू0 2000.00 का बिल जमा किया था और अब तक यह बिल दिनांक 24.02.2026 तक रू0 31863.00 का निर्गत हुआ है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर अद्यतन् बिल के साथ अपनी आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह बड़े खेद का विषय है कि बार–बार अनुस्मारक देने के पश्चात् भी प्रकरण में आख्याएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 16.09.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.09.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 7500053356 पर बात करने कोशिश की गयी परंतु वादी ने फोन नहीं उठाया। यह प्रकरण दिनांक 21.12.2018 से लंबित बिलो से संबंधित है जिसमें वादी ने दिनांक 21.12.2018 को अंतिम बार रू0 2000.00 जमा कराये थे जो पार्ट पेमेंट था। विभाग ने बताया कि वादी का बिल रू0 31863.00 रीडिंग आधारित है और वादी द्वारा वर्ष 2018 के बाद भुगतान ना करने के कारण है जिसकी वजह से वादी का संयोजन दिनांक 29.03.2026 को विच्छेदित कर दिया गया था।

16/9/26

16/9/26

वादी को कहा जाता है कि वह लंबित बिलों का 15 दिन के अंदर भुगतान कर संयोजन को पुनः जुड़वाने के लिए विभाग से संपर्क स्थापित करें।

आदेश

यह प्रकरण दिनांक 21.12.2018 से लंबित बिलो से संबंधित है जिसमें वादी ने दिनांक 21.12.2018 को अंतिम बार रू0 2000.00 जमा कराये थे जो पार्ट पेमेंट था। विभाग ने बताया कि वादी का बिल रू0 31863.00 रीडिंग आधारित है और वादी द्वारा वर्ष 2018 के बाद भुगतान ना करने के कारण है जिसकी वजह से वादी का संयोजन दिनांक 29.03.2026 को विच्छेदित कर दिया गया था।

वादी को कहा जाता है कि वह लंबित बिलों का 15 दिन के अंदर भुगतान कर संयोजन को पुनः जुड़वाने के लिए विभाग से संपर्क स्थापित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 16.09.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora -- 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 320 / 2026

श्री हंसा दत्त, पुत्र श्री चिंतामणी,
ग्राम – काण्डे, कयाल, पो0ऑ0– काण्डा,
जिला– बागेश्वर। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। । प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बीजी2डी22103684 के सापेक्ष, उनका विद्युत बिल दिसंबर 2025 में रू0 9098 का निर्गत हुआ है जो कि बहुत अधिक है। उन्होने उक्त बिल को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1271 दिनांक 05.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से प्रकरण में आख्या अपेक्षित है। विभाग को कहा गया था कि वह 15 दिन के अंदर बिलिंग हिस्ट्री के साथ आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी की तिथि 07.07.2026 को नियत की गयी थी।

3..मंच की सुनवाई तिथि 07.07.2026, 31.07.2026 तथा 24.08.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से पंत्राक संख्या 1694 दिनांक 22.06.2026 के माध्यम से सूचित किया गया था कि वादी का निर्गत बिल रू0 9098 रीडिंग आधारित है और सही है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि दिनांक 16.09.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.09.2026 में वादी ने अपने प्रतिनिधि एडवोकेट श्री गणेशा गोविंदा मठपाल के द्वारा अगली सुनवायी के लिए अनुरोध किया था। तदनुसार वादी को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवायी तिथि दिनांक 06.10.2026 नियत की गयी थी।

01/10/26 07/10/2026

5..मंच की सुनवाई तिथि 06.10.2026 में वादी की तरफ से श्री भारतेंदु काण्डपाल, वादी के भतीजे उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि जनवरी 2026 में काण्डा पंचायत घर में जनता दरबार लगाया गया था जिसमें यूपीसीएल0 के अधिकारी भी उपस्थित थे। यूपीसीएल0 ने बिल में संशोधन करते हुए उन्हें रू0 2593 का बिल दिया था जिसका भुगतान उन्होने जनवरी 2026 में कर दिया था। इसके पश्चात् उन्हें रू0 9098 का एक बिल प्राप्त हुआ जो कि दिसंबर 2025 तक का दिखाया गया है। वादी ने इसकी शिकायत, शिकायत निवारण शिविर बागेश्वर में दिनांक 29.05.2026 को की थी। बिलिंग हिस्ट्री देखनें से प्रतीत होता है कि वादी का मीटर 30.09.2025 और फिर 25.02.2026 में बदला दिखाया गया है। विभाग की तरफ से श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी एसडीओ0 से फोन पर सुनवायी की गयी। उन्होने बताया कि वास्तव में वादी का मीटर 03.07.2025 को बदला गया था जबकि मीटर रीडर ने मौके पर ना जाकर दिनांक 30.09.2025 में तथा 25.02.2026 में मीटर बदला हुआ दिखया गया जिसकी वजह से दोषी मीटर रीडर को हटा दिया गया है । उन्होने बताया कि 03.07.2025 में पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 7174 यूनिट थी तथा नया मीटर 03.07.2025 को 305 यूनिट पर लगाया गया था और वर्तमान में 16.09.2026 तक की कुल रीडिंग 1579 यूनिट रिकार्ड की गयी है जिसमें से प्रारभिक रीडिंग 305 को घटाते हुए नये मीटर के आधार पर 1274 यूनिट की बिलिंग की गयी है। उन्होने यह भी बताया कि पुराने बदले गये मीटर की अवशेष मीटर की रीडिंग को भी उपरोक्त 1274 यूनिट के साथ जोड़ दिया गया है और वादी द्वारा जनवरी 2026 में भुगतान किये गये रू0 2593 को समायोजित करते हुए, दिनांक 16.09.2026 तक नेट बिल 8824 रू0 बना है। वादी का कहना है कि संशोधित बिल में कोई एलपीएससी0 या सरचार्ज ना लगाया जाए।

आदेश

यह प्रकरण बदले गये मीटर की अवशेष रीडिंग की ससमय बिलिंग ना किये जाने से संबंधित है। वादी का मीटर वास्तव में 03.07.2025 को बदला गया था जबकि रिकार्ड में इसकी पोस्टिंग दिसंबर 2025 में की गयी जिसकी वजह से संशोधित बिल में बढोतरी हुयी। हटाये गये दोषी मीटर रीडर ने मौके पर ना जाकर वादी के मीटर को 30.09.2025 और फिर 25.02.2026 में बदला हुआ दिखाया जो कि गलत था। बदले गये मीटर की अवशेष रीडिंग को लेते हुए तथा नये मीटर के वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर वादी का बिल दिनांक 16.09.2026 तक रू0 8824 निर्गत हुआ है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता हैकि वह मीटर बदलने की तिथि दिनांक 03.07.2025 से बिना एलपीएससी0/सरचार्ज के संशोधित बिल 10 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराए तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 06.10.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य